न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 289 दायर दिनांक : 23.11.2015

सरवन पुत्र श्री पेमा जाति नायक निवासी बछरारा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

.....वादी

बनाम

1. बजरंग पुत्र श्री बालदास जाति स्वामी निवासी बछरारा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

....प्रतिवादीगण

**वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 आर.टी.ए. 1955**

उपस्थित:

1. श्री अशोक कुमार छाबड़ा, अभिभाषक वादी
2. श्री राजवीर भादू, अभिभाषक प्रतिवादी सं. 1
3. पैरोकार राज नायब तहसीलदार, सूरतगढ़

**निर्णय** दिनांक : 31/08/2020

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई, अभिभाषक पक्षकारान उपस्थित पत्रावली का अवलोकन किया संक्षेप में विचारण तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 व 209 आर.टी.ए. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के नाम रोही बछरारा तहसील सूरतगढ़ के खसरा न. 28 में 50.00 बीघा भूमि खातेदारी थी। बरवक्त भू–प्रबंध इसके नये खसरा न. 285 में 7.082 है. व खसरा न. 291 में 5.767 है. 5.767 है. पैमूद हुए। खसरा न. 285 की 7.082 है. भूमि वादी के नाम खातेदारी अंकित हुई, जबकि खसरा न. 291 की 5.767 है. रकबा राज दर्ज कर प्रतिवादी सं. प्रतिवादी सं. 1 बजरंग पुत्र बालदास को आवंटित कर खातेदारी अंकित कर दी गई, जबकि प्रतिवादी का रोही बछरारा के खसरा न. 291 की 5.767 है. भूमि पर कब्जा नहीं है। पेपर आवंटन व खातेदारी अंकित कर दी गई, जबकि कब्जा प्रश्नगत् खसरा न. 291 की 5.767 है. भूमि पर वादी का है, इसलिये वादी को उक्त प्रश्नगत् भूमि का खातेदार कृषक घोषित कर प्रतिवादी को पाबंध किया जावे कि वे वादी की भूमि वाके रोही बछरारा के खसरा न. 291 की 5.767 है. व खसरा न. 285 की 7.082 है. में मदाखलत बेजा ना करें।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब कर सुनवाई की गई बाद कायमी तनकीयात् दिनांक 12.06.2015 को वाद वादी खारिज कर दिया गया जिसकी अपील वादी द्वारा माननीय राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत की ओर बाद सुनवाई माननीय राजस्व अपील अधिकारी ने अपील स्वीकार कर इस निर्देश के साथ ........ की कि वादी

क्रमशः........पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.09.16 16:31:33 IST
Reason: SelfAttested

को रोही बछरारा में खसरा न. 28 मिन. 28/15 में 50.00 बीघा भूमि आरजी काश्त पर आवंटन हुई थी, भू–प्रबंध विभाग द्वारा उसकी भूमि घटाकर खसरा न. 285 में 7.082 है. कानून विरूद्ध दर्ज कर दी गई जिसका उन्हें अधिकार नहीं था साक्ष्य का अवलोकन किये बिना वाद वादी दिनांक 12.04.2015 को निरस्त कर दिया गया, प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि वादी के 50.00 बीघा रकबा के खातेदारी के सम्बंध में स्पष्ट एवं विधि सम्मत निर्णय पारित करें। पत्रावली प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर पुनः सुनवाई की गई, सुनवाई के दौरान ही सरवन द्वारा गिरदावरियॉं व भागीरथ आदि के शपथ पत्र पर बयान प्रस्तुत किये वाद चलन के दौरान ही मुंतकिली प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया जो कि पीठासीन अधिकारी के स्थानान्तरण होने पर आधारहीन होने से निरस्त कर सुनवाई के आदेश दिये गये बाद आदेश जिला कलैक्टर एवं राजस्व मण्डल पत्रावली में सुनवाई की गई, मूल रूप से बाद जवाब आने पक्षकारान दिनांक 14.10.2014 को तनकीयात् बनाई गई थी जो निम्न प्रकार से है:–

1. आया खसरा न. 28 से नवीन खसरा न. 285 व 291 पैमूद हुये ?

(वादी)

2. आया वादी खसरा न. 291 रकबा 5.767 है. का खातेदार है ?

(वादी)

3. अनुतोष ?

इसके पश्चात् दिनांक 01.12.2011 को दो तनकीयात् ओर जोड़ी गई:–

4. आया रोही बछरारा खसरा न. 291 की 5.767 है. बारानी भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 खातेदार काश्तकार है तथा उक्त रकबा प्रतिवादी सं. 1 के कब्जा में है ?

(प्रतिवादी न. 1)

5. आया वादी रोही खसरा न. 28 नवीन खसरा न. 285/28.00, 291/22.00 बीघा की चिरस्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है ?

(वादी)

बाद आने साक्ष्य पक्षकारान के तर्क सुने गये, अभिभाषक वादी द्वारा वाद कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि वादी एक हरिजन कमजोर तबके का आदमी है उसको खसरा न. 28 में सम्वत् 2018 से आरजी काश्त पर आवंटन है जिसका अंकन गिरदावरी में है नियमानुसार भू–राजस्व अधिनियम में अनअधिवासित भूमि आवंटन नियमों में बाद बीतने दस वर्ष खातेदारी अधिकार आहूत हो जाते थे उसको 50.00 बीघा भूमि कि खातेदारी अधिकार अंकित होने चाहिये थे जो भू–प्रबंध विभाग के आने से उसकी भूमि कम कर नया खसरा बनाकर खसरा न. 285 में 7.082 है. अंकित कर दिया गया व शेष रकबा राज खसरा न. 291 में 5.767 है. बारानी अंकित कर दिया गया। भू–प्रबंध विभाग को काश्तकार की भूमि कम या ज्यादा करने का कोई अधिकार नहीं है। तमाम कार्यवाही नियमों से हटकर की गई है, प्रतिवादी को किसी प्रकार का आवंटन हुआ है वह यह सिद्ध नहीं कर पाया है सीधे दस्तावेजों में अं[illegible]रहीन है,

क्रमशः पेज 3 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by: Manoj Kumar Meena
Date: 2020.09.16 16:31:33 IST
Reason: SelfAttested

इस प्रकार का भू–प्रबंध विभाग द्वारा किया गया अंकन कतई कानून विरूद्ध होने से पालनीय नहीं है और अंकित काश्तकार के अधिकार प्रतिवादी को प्राप्त नहीं होते वा ना ही उसका कब्जा काश्त है, पूर्व में भी तनकी न. 1 का निर्णय करते हुये विद्वान उपखण्ड अधिकारी ने रोही बछरारा के खसरा न. 28 से खसरा न. 285, 291 बने है इस तनकी को वादी के हक में निर्णय किया है वादी खसरा न. 28 की 50.00 बीघा भूमि का खातेदार कृषक था ओर इसी खसरा से 285, 291 में अंकित भूमि का खातेदार वादी घोषित करवाने का पात्र है मौका पर कब्जा है। तनकी न. 1 बहक वादी बताते हुये तनकी न. 2 भी वादी के हक में निर्णय की जानी थी जो पूर्व में बहक प्रतिवादी गलत निर्णित की गई है। जहॉ तक नई तनकीयात् का प्रश्न है तनकी न. 4 जो कि प्रतिवादी को सिद्ध करनी थी आवंटन आदेश के अभाव में सिद्ध नहीं होने से उसके विरूद्ध निर्णय की जानी चाहिये व तनकी न. 5 इसी अनुसार बहक वादी निर्णय कर वाद वादी स्वीकार करने की प्रार्थना की गई। आर.आर.डी. 1999 पेज 204, आर.आर.डी. 1993 पेज 45, आर. आर.डी. 2001 पेज 86, आर.एल.डब्ल्यू. 2011 पार्ट 1 आर.जे. पेज 57 तर्को के समर्थन में प्रस्तुत की। अभिभाषक प्रतिवादी न. 1 द्वारा पूर्व लिखित बहस की ओर ध्यान दिलाकर निवेदन किया कि खसरा न. 28 का प्रतिवादी आरजी काश्तकार है उक्त खसरा करीब 1000 बीघा का था वादी की भूमि का मात्र खसरा न. 285 व 291 बना यह किसी प्रकार से सिद्ध नहीं होता, प्रतिवादी न. 1 पिछले 20 वर्षो से खसरा न. 291 की 5.767 है. का पूर्व में आरजी काश्तकार होकर खातेदारी काश्तकार अंकित हो चुका है उसे यह भूमि रखने का पूर्ण अधिकार है। तनकी न. 2 पूर्ण रूप से प्रतिवादी न. 1 के हक में सिद्ध हो चुकी है इसलिये वाद वादी निरस्त करने की प्रार्थना की गई।

पक्षकारान के योग्य अभिभाषगण का तर्क सुनने के बाद तर्को के परिपेक्ष्य में प्रस्तुत न्याय निर्णयों सहित पूर्ण पत्रावली का गहन पठन व मनन किया गया तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार से है:–

<u>तनकी न. 1– आया खसरा न. 28 से नवीन खसरा न. 285 व 291 पैमूद हुये ?</u>

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। मिलान क्षेत्रफल से स्पष्ट है कि रोही बछरारा के खसरा न. 28 के नये खसरा न. 285 व 291 बने। इसी खसरा न. 28 के अन्य खसराजात भी बने है जो दस्तावेजी रिकॉर्ड से सिद्ध है, जो कि मिलान क्षेत्रफल से साबित है। यहॉ यह स्पष्ट कर देना सही होगा कि खसरा न. 28 रोही बछरारा के नये बने खसरा 285 में वादी के नाम 7.082 है. खातेदारी अंकित कर दी गई जबकि भू–प्रबंध शुरू होने के समय 50.00 बीघा भूमि थी दौराने भू–प्रबंध खसरा न. 28 से बने 285 में ही 50.00 बीघा भूमि फिट होनी चाहिये थी किन्तु खसरा न. 285 को तोड़ते हुये इसमें 50.00 बीघा भूमि का इन्द्राज ना कर 7.082 है. भूमि वादी के नाम अंकित कर दी व शेष भूमि का अलग खसरा बनाते हुये रकबा राज में दर्ज कर दी गई वादी उक्त रकबा राज से अपनी शेष भूमि पाने का मुश्तहक है जो कब्जानुसार खसरा न. 291 की 5.767 है. रकबा राज भूमि से उसे दिया जा सकता है। उक्तानुसार तनकी न. 1 बहक वादी निर्णय की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.09.16 16:31:33 IST
Reason: SelfAttested

पेज 4 पर

तनकी न. 2– आया वादी खसरा न. 291 रकबा 5.767 है. का खातेदार है ?

इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादी पर था। वास्तव में इस तनकी का भार प्रतिवादी पर होना चाहिये था किन्तु जैसे तनकी है उसी अनुसार अवलोकन करने पर यह पाया जाता है कि इस तनकी को सिद्ध करने के लिये प्रतिवादी को भी साक्ष्य प्रस्तुत करने चाहिये थे, प्रतिवादी द्वारा मूल रूप से पत्रावली में आवंटन पट्टा आवंटन आदेश कतई प्रस्तुत नहीं किया है वा ना ही यह बताया है कि उसको कब आवंटन हुआ व किस अधिकारी द्वारा किया गया है। मात्र जमाबंदी में अंकित होने से व खातेदार काश्तकार नहीं माना जा सकता उसे अपना आवंटन विवाद की स्थिति में स्पष्ट करना होगा, प्रस्तुत न करने पर साक्ष्य उसके विरूद्ध माना जावेगा, द्वितीय यदि यह आवंटन भू–प्रबंध के द्वारा हुआ माना भी जाये तो अधिकारातीत आवंटन है प्राथमिकता गलत है किसी काश्तकार का रकबा कम कर किसी अन्य काश्तकार को आवंटन नियम विरूद्ध होने से मानने योग्य नहीं है। इस तनकी का निर्णय इस प्रकार किया जाता है कि नियमानुसार आवंटन होने के साक्ष्य ना होने से प्रतिवादी न. 1 को मात्र अंकन के आधार पर खसरा न. 291 की 5.767 है. का आरजी काश्तकार परिणामस्वरूप खातेदार काश्तकार नहीं माना जा सकता इसी अनुसार इस तनकी का निर्णय किया जाता है।

तनकी न. 4 आया रोही बछरारा खसरा न. 291 की 5.767 है. बारानी भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 खातेदार काश्तकार है तथा उक्त रकबा प्रतिवादी सं. 1 के कब्जा में है ?

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी न. 1 पर था, प्रतिवादी न. 1 ने सिद्ध करने के लिये मात्र गिरदावरी की नकलात पेश की है, प्रतिवादी न. 1 द्वारा अपने नाम से हुये अंकन का आधार आवंटन पट्टा अथवा आदेश की प्रति पेश नहीं की है इसलिये उसे इस भूमि का अपने आप को आवंटी सिद्ध नहीं कर पाया है। यदि उसे भू–प्रबंध विभाग के द्वारा आवंटन किया भी गया है तो वह परिणाम शून्य है उसका कोई प्रभाव नहीं है। भू–प्रबंध विभाग को अंकित काश्तकार का रकबा कम करने अथवा नया आवंटन करने का कतई अधिकार नहीं है ऐसा कोई भी कार्य आधारहीन होने से पालनीय नहीं है। तनकी न. 4 को प्रतिवादी न. 1 कतई सिद्ध नहीं किया है, यह तनकी खिलाफ प्रतिवादी निर्णित की जाती है। माननीय राजस्व अपील अधिकारी ने अपने रिमाण्ड आदेश में यह स्पष्ट अंकित किया है कि वादी के 50.00 बीघा रकबा के सम्बंध में विधि सम्मत् निर्णय करें साथ ही उन्होनें विवेचन में यह अंकित किया है अपीलांट (वादी) सम्वत् 2020 से बतौर आवंटी पूर्व खसरा न. 28 से 50.00 बीघा रकबा पर काबिज था परन्तु भू–प्रबंध कार्यवाही के दौरान उसका रकबा मनमाने पूर्ण तरीके से कम करते हुये रेस्पोडेंट (प्रतिवादी) न. 1 को आवंटित होना दर्शा कर जमाबंदी तैयार की गई भू–प्रबंध विभाग को इस प्रकार की शक्ति नहीं थी उक्त अनुसार ही साक्ष्यों का अध्ययन दर्शा रहा है। तनकी न. 4 विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.09.16 16:31:33 IST
Reason: SelfAttested

पेज 5 पर

तनकी न. 5 आया वादी रोही खसरा न. 28 नवीन खसरा न. 285/28.00, 291/22.00 बीघा की चिरस्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है ?

इस तनकी का भार वादी पर था वादी ने अपने आप को रोही बछरारा के खसरा न. 28 का 50.00 बीघा का आरजी काश्तकार पूर्णतया सिद्ध किया है इस भूमि में से खसरा न. 285 की 7.082 है. वादी के नाम से खातेदारी अंकित है इसी प्रकार शेष भूमि खसरा न. 291 की 5.767 है. उसके नाम अंकित होने योग्य है ताकि उसकी जोत 50.00 बीघा पूरी हो सके, इस सीमा तक स्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है। तनकी न. 5 बहक वादी निर्णय की जाती है।

उपरोक्त अनुसार तनकी न. 1 बहक वादी, तनकी न. 2 खिलाफ प्रतिवादी, तनकी न. 4 खिलाफ प्रतिवादी व तनकी न. 5 बहक वादी होने से वाद वादी आंशिक स्वीकार कर वादी को रोही बछरारा के भू–प्रबंध से पूर्व अंकित खसरा न. 28 के 50.00 बीघा भूमि का आरजी काश्तकार मानते हुये भू–प्रबंध के बाद बनाये नये खसरा 285 में 7.082 है. व 291 में 5.767 है. का काश्तकार मानते हुये पूर्व घोषित रोही बछरारा के खसरा न. 285 के 7.082 है. का खातेदार काश्तकार यथावत् रखते हुये शेष भूमि रोही बछरारा के खसरा न. 291 की 5.767 है. का आरजी काश्तकार गैर खातेदार घोषित किया जाता है परिणामस्वरूप प्रतिवादी सं. 1 के नाम से अंकित वर्तमान जमाबंदी रोही बछरारा सम्वत् 2069 ता 72 के खाता सं. 108 नया 112 पुराना में बजरंग दास वल्द बालदास के नाम से पूर्व अंकित खसरा न. 291 की 5.7670 है. खातेदारी भूमि जो कि बजरंगदास द्वारा दान पत्र से अपने पुत्रों प्रेमदास, विजयपाल, छोटूराम पि. बजरंगदास को दी गई है ओर विजयपाल की मृत्यु के बाद उसके वारिसान के नाम से अंकित हुई है तमाम अंकन प्रभावहीन वाद चलन के दौरान होने से अप्रभावी घोषित करते हुये यह भूमि अंकित काश्तकारों प्रेमदास वगै. के नाम से कलमजन कर खसरा न. 291 की 5.767 है. भूमि का आरजी काश्तकार वादी सरवन पुत्र पेमा जाति नायक निवासी बछरारा तहसील सूरतगढ़ को आरजी काश्तकार गैर खातेदार घोषित कर उसके नाम जमाबंदी में अंकित करने के आदेश दिये जाते है। इस भूमि के खातेदारी अधिकार तहसीलदार सूरतगढ़ देने हेतू विचारण करने को स्वतंत्र है।

हुक्म सुनाया गया, पर्चा डिक्री जारी हो, पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.09.16 16:31:33 IST
Reason: SelfAttested

(आ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

## डिकी बमुकद्दम इब्तदाई

अज अदालत – सहायक जिलाधीश एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
बइजलास – मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.

अनवान :–

सरवन पुत्र श्री पेमा जाति नायक निवासी बछरारा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

–वादी

बनाम

1. बजरंग पुत्र श्री बालदास जाति स्वामी निवासी बछरारा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 व 209 आर.टी.ए. मुकदमा न. 289 वर्ष 2015 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर वकील वादी श्री अशोक कुमार छाबड़ा व वकील प्रतिवादी सं. 1 राजवीर भादू एवं पैरोकार राज नायब तहसीलदार, सूरतगढ़ के पेश होने पर हुक्म दिया जाता है।

वाद वादी आंशिक स्वीकार कर वादी को रोही बछरारा के भू–प्रबंध से पूर्व अंकित खसरा न. 28 के 50.00 बीघा भूमि का आरजी काश्तकार मानते हुये भू–प्रबंध के बाद बनाये नये खसरा 285 में 7.082 है. व 291 में 5.767 है. का काश्तकार मानते हुये पूर्व घोषित रोही बछरारा के खसरा न. 285 के 7.082 है. का खातेदार काश्तकार यथावत् रखते हुये शेष भूमि रेाही बछरारा के खसरा न. 291 की 5.767 है. का आरजी काश्तकार गैर खातेदार घोषित किया जाता है परिणामस्वरूप प्रतिवादी सं. 1 के नाम से अंकित वर्तमान जमाबंदी रोही बछरारा सम्वत् 2069 ता 72 के खाता सं. 108 नया 112 पुराना में बजरंग दास वल्द बालदास के नाम से पूर्व अंकित खसरा न. 291 की 5.7670 है. खातेदारी भूमि जो कि बजरंगदास द्वारा दान पत्र से अपने पुत्रों प्रेमदास, विजयपाल, छोटूराम पि. बजरंगदास को दी गई है ओर विजयपाल की मृत्यु के बाद उसके वारिसान के नाम से अंकित हुई है तमाम अंकन प्रभावहीन वाद चलन के दौरान होने से अप्रभावी घोषित करते हुये यह भूमि अंकित काश्तकारों प्रेमदास वगै. के नाम से कलमजन कर खसरा न. 291 की 5.767 है. भूमि का आरजी काश्तकार वादी सरवन पुत्र पेमा जाति नायक निवासी बछरारा तहसील सूरतगढ़ को आरजी काश्तकार गैर खातेदार घोषित कर उसके नाम जमाबंदी में अंकित करने के आदेश दिये जाते है। इस भूमि के खातेदारी अधिकार तहसीलदार सूरतगढ़ देने हेतू विचारण करने को स्वतंत्र है। प्रतिवादीगण को पाबंद किया जाता है उक्त भूमि में किसी प्रकार की मदाखत ना करें। खर्चा पक्षकारान अपना – अपना वहन करेंगें।

नोज .......×......... मुबलिग .......×......... बाबत .......×......... खर्चा .......×......... इस मुकदमें में मय सूद बशरह .......×......... फसदों की पालना .......×......... आज की तारीख से तारीख वसूल्या वो तक की अदा करें।

बसिव्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज [illegible] .20 को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.09.16 16:31:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़